

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलटरी कमेटी, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:प1(1)एमई/ग्रुप-1/2003

जयपुर, दिनांक: 19.03.2020

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसरण में निजी मेडिकल कॉलेज/दन्त कॉलेज के लिए गठित शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 17.02.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित फर्म को फीस निर्धारण हेतु एतद्द्वारा ऑडिटर नियुक्त किया जाता है:-

आर. सोगानी एण्ड एसोसिएट्स,  
सी-स्कीम, जयपुर।

  
(डॉ० सुनील भटनागर)  
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. जस्टिस एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, शुल्क निर्धारित कमेटी।
5. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन/शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय।
10. समस्त सदस्य शुल्क निर्धारण समिति।
11. आर. सोगानी एण्ड एसोसिएट्स, सी-स्कीम, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

  
विशेषाधिकारी